न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/43)

काशीराम पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 15 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. लाल मोहम्मद पुत्र सारू खां जाति दमामी निवासी मौहल्ला दमामियान कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक राजगढ जिला चूरू।

रेस्पोर्डेंट्स

उपस्थितः 1. श्री रतनलाल प्रजापत — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय **दिनांकः 29.07.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के प्रार्थना पत्र संख्या 615/2023 निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लाल मोहम्मद ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ की अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर पैमाइश करवाई जाकर चारों तरफ की सीमाओ की पत्थर गढी करने के आदेश जारी करवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.2024 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ की चारो सीमाओ का सीमाज्ञान करवाने हेतु योग्य पटवारियो की टीम तैयार की जाकर सीमाज्ञान कराया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जाने व पत्थरगढी करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ की पत्थरगढी व सीमा ज्ञान करवाने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने तथ्यो को छुपाते हुए अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया और मातहत न्यायालय को मुगालते में रखते हुए उक्त आदेश प्राप्त किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि विवादित खसरा सं. 2922/1698 के गत खसरा सं. 1698 कुल तादादी 5.67 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा राजगढ रहा है जो पूर्व में संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि रही है लेकिन उक्त खसरा का खाता विभाजन होकर खसरा सं. 2922/1698 बना है जिसको लेकर लाल मोहम्मद द्वारा सीमा ज्ञान व पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये केवल राजस्थान सरकार के खिलाफ सोची समझी साजिस के तहत पेश किया है। उक्त खाता विभाजन के निर्णय के खिलाफ एक अपील राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प कोर्ट चूरू में विचाराधीन है। जिसका निर्णय अभि नही हुआ है। इन तथ्यो को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा मातहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 चालक व राजनीतिक पहुच वाला व्यक्ति है जो उक्त सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आदेश की आड में अपीलान्ट की भूमि हडपने की मंशा रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट भी नही मंगवाई और मनमाने तरीके से निर्णय जारी कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपने अधिवक्ता के पास जाकर नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जो नकले बाद तैयारी दिनांक 13.05.2024 को प्राप्त हुई । जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 को अपास्त किया जाकर विवादित खाता विभाजन से पूर्व खातेदार रहे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व्यक्तियो को आवश्यक पक्षकार कायम किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला चूरू को किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय से परमीशन भी नही ली और ना ही अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत किया। अपीलान्ट को अपील पेश करने की LOCUS STANDI नही है। इसलिए अपीलान्ट की अपील LOCUS STANDI के अभाव में खारिज की जावे। साथ ही उन्होने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपने खेत खसरा नम्बर की पत्थरगढी करवा रहा है, इसमें अपीलान्ट को क्या दुविधा है। रेस्पोडेन्ट अपनी सीमाओ की पत्थरगढी चाहता है। जिस पर कोई स्थगन आदेश नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय सही है अपीलान्ट की अपील सारहीन हो चुकी है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 06.05.2024 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें रेस्पोडेन्ट लाल मोहम्मद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि खसरा नं. 2922/1698 तादादी 1.4175 हैक्टेयर रोही कस्बा राजगढ की चारो सीमाओ का सीमाज्ञान करवाने हेतु योग्य पटवारियो की टीम तैयार की जाकर सीमाज्ञान कराया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह कायम किये जाने व पत्थरगढी करने के आदेश दिया गया है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था, इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की परमीशन बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत भी नही किया है। साथ ही यदि पक्षकारो के मध्य अगर सीमा विवाद है तो वे अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कानूनी हक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2024 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर